


04  
Endog

	<p align="center"><b>अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)</b></p> <p align="center">जमावंदी रद्द अभिलेख वाद सं०-.....561...../2016-17</p> <p>वाद का प्रकार :- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p>	जिस विषय में भूमि सुधार अधि० 1950 का प्रयोग किया गया है उसे रद्द करने का आदेश दिया गया है। 10/9/16
19/8/16	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा.....<u>बिरवा</u>..... थाना नं०.....<u>42</u>..... जमा०सं०.....<u>659</u>.....</p> <p>खाता सं०.....<u>138</u>..... प्लॉट सं०.....<u>1512</u>..... रकबा.....<u>0.30</u>.....</p> <p>एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 पर जमाबंदी रैयत <u>विष्णु खिवा</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतए० संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>23/9/16</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी, बलियापुर।</p> <p align="right"> अंचल अधिकारी, बलियापुर।</p>	जिस विषय में भूमि सुधार अधि० 1950 का प्रयोग किया गया है उसे रद्द करने का आदेश दिया गया है। 10/9/16



19.5.20

लम्बी अवधि के बाद अभिलेख उपस्थापित! संबंधित जमाबन्दी रैयत को पुनः नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें। उनसे कारण पृच्छा करें कि क्यों नहीं जमाबन्दी को अवैद्य मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 29.05.2020 को उपस्थापित करें।

19.5.2020  
अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

29.05.20  
13.07.20

अभिलेख उपस्थापित किया गया।

नोटिस तमिलना के पत्रकार प्राप्त हुआ जमाबन्दी रैयत द्वारा उक्त भूमि से सम्बन्धित जमाबन्दी पत्रिका एवं दूकमनामा का छाया प्रति पंजी 11 का छाया प्रति एवं वर्ष 1988-89, एवं 1995-1996, 2010-2011, 2012-2013 तक का लगान रसीद का छाया प्रति समर्पित किया गया है लगान रसीद अद्यतन नहीं है।

अतः अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप सहायता चलवादा को भेजे।

13.7.2020  
अंचल अधिकारी  
बलियापुर।